भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3244
जिसका उत्तर मंगलवार 01 जनवरी, 2019 को दिया जाना है

भारतीय सेना के लिए मल्टी-एक्सल ट्रकों की आपूर्ति

3244. श्री बी सेनगुट्टुवन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी को भारतीय सेना को हाई मोबिलिटी मल्टी-एक्सल ट्रक की आपूर्ति करने संबंधी वह रक्षा अनुबंध प्राप्त हुआ है, जिसे पूर्व में भारी परिव्यय के साथ विदेशी कंपनियों को दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो अनुबंध प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनी का ब्यौरा क्या है और कितने ट्रकों की आपूर्ति की जाएगी तथा अनुबंध इत्यादि की शुद्ध लागत कितनी है;

(ग) क्या किसी अन्य भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी को सेना को जीप की आपूर्ति करने के संबंध में इस प्रकार का अनुबंध् प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (घ): नई औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ वर्ष 1991 में ऑटोमोबाइल उद्योग का लाइसेंस रद्द (डिलाइसेंस) किया गया। वाहन विनिर्माताओं के लिए इन वर्षों में घरेलु/विदेशी निवेश हेतु मानदंडो को उदार बनाया गया। इसलिए, इस प्रश्न के द्वारा मांगे गए ब्यौरे भारी उद्योग विभाग द्वारा नहीं रखे जाते हैं। तथापि, रक्षा मंत्रालय ने सूचित किया है कि वर्ष 2015-16 से हाई मोबिलिटी वाहनों/ट्रकों की खरीद के लिए भारतीय विक्रेताओं के साथ ₹1828 करोड़ के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा, भारतीय विक्रेता के साथ हल्के वाहन के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

*****